

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, नालन्दा, बिहारशरीफ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 126 / 2026

मनीष कुमार बनाम बिहार सरकार

महिला थाना कांड सं० 160 / 2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 69, 303(2), 85, 352, 351(2), 3(5) B.N.S

12.03.2026

आवेदक **मनीष कुमार** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्रि० मिस० नं० 593 / 2026 दिनांक 19.01.2026 के आदेश से वाद की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाई गई है । वर्तमान में आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना नहीं है । अतः आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाय ।

उभय पक्षों को सुना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया और पाया कि माननीय न्यायालय द्वारा क्रि० मिस० नं० 593 / 2026 दिनांक 19.01.2026 के आदेश से उक्त वाद की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगायी गयी है । उक्त आदेश के आलोक में आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की संभावना नहीं है ।

अतः आवेदक मनीष कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं० 126 / 2026 को वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह—विशेष न्यायाधीश
बिहारशरीफ, नालन्दा ।